भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1675
दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार व धन का दुरुपयोग

1675 # श्री नीरज डांगी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2024 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के मामलों और निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा जब्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 30.07.2025 तक, जल जीवन मिशन के तहत 12.44 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़

ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.97%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने हेतु बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, सवालों/शिकायतों आदि के निपटान का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर ही इन पर कार्रवाई/निपटान किया जाता है। तदनुसार, इस विभाग में इस योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त शिकायत/सवाल जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कार्यान्वयन में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के मामलों और निधियों के दुरुपयोग सहित संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं।

पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं तथा वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श करना और उनको अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों में पाइपगत जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान के संबंध में दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****